



मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) ... झारिया

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान

..... सुमन कंवर बनाम राजस्वाम सरकार

दावा बाबत 88 RTA

मुकदमा नम्बर :- 108 / 2022

निर्णय दिनांक :- 06-06-2022

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06-06-22 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - दावा वादी स्वीकार किया जाकर रोही ग्राम सोमासी खाता सं. उप खण्ड सं. 13, प3 में अंशित नाम धापा कंवर पुत्री विहमण के स्वाम पर सुमन कंवर पुत्री विहमण किये जाने की घोषणा की जाती है। वादिनी के खिलाफ किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज होने या सरकारी शक्ति बकाया होने की स्थिति में पूर्व नाम मन्थ होगा। तहसीलदार चूरु उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंशित दर्ज करे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 06-06-22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

उपखण्ड अधिकारी

वादी	प्रतिवादी
रूपया	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4.रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल	
जोड़	जोड़

